PUBLIC WORKS DEPARTMENT

BUILDING AND ROADS BRANCH

AMBALA CIRCLE

The 2nd May, 1986

No. SE/PWD/B&R/Ambala/1449.—Whereas it appears to the Governor of Haryana that land is likely to be required to be taken by the Government, at the public expenses for a public purpose, namely, for constructing link road from Panjeton to village Rajouli in Ambala District, it is hereby notified that the land in the locality described below is likely to be required for the above purpose.

This notification is made, under the provisions of section 4 of the Land Acquisition Act, 1894, to all whom it may concern.

In exercise of the powers conferred by the aforesaid section, the Governor of Haryana is pleased to authorise the officers for the time being engaged in the under taking with their servants and workmen to enrer upon and survey any land in the locality and do all other acts required or permitted by that section.

Any person interested who has objection for the any acquisition in any land in the locality may, within thirty days of the publication of this notification, file an objection in writing before the District Revenue Officer-Cum-Land Acquisition Collector, Ambala.

SPECIFICATION

District	Tehsil	Locality/ Village	Hadbast No.	Area in acres	Rectangle/Kila No.
1	2	3	4	5	6
Ambala	Naraingarh	Panjeton	274	4.60	$\frac{9}{9, 10, 12, 13, 17/3, 18/1, 18/2, 26}$, $\frac{14}{4, 14, 18, 22/2, 23, 29, 32, 33, 26, 27}$, $\frac{19}{2/1, 2/2, 2/3, 3, 8, 9, 12, 13, 18, 22, 23, 19}$, $\frac{24}{2, 3, 8, 9/1, 12, 13/1, 13/2, 13/3, 18, 19/1,}$ $\frac{24}{19/2, 22, 23/1, 23/2}$, $\frac{27}{3, 8, 9/1, 9/2, 9/3,}$ $\frac{27}{12, 13, 18, 19, 22, 23/1, 23/2}$, 32, 34, 33, 35, 36, 42, 47, 58, 59, 121 to 124, 126, 128 to 130, 132, 143, 146 to 153, 155, 165, 170, 171, 175 to 176, 177
Do	Do	Rajouli	288	3.68	$\frac{8}{22, 23}$, $\frac{11}{2, 3/1, 3/2, 8/1, 8/2, 9, 12/1,}$ $\frac{11}{12/2, 13/1, 13/2, 18/1, 18/2, 19, 22, 23/1, 23/2}$

1	2	3	4	5	6
Ambala	Naraingarh	Rajouli—*concld*	288—*concld*	3.68—*concld*	19 / 2, 3, 8, 9/1, 9/2, 12, 13/1, 13/2, 18, 19, 19 / 22/1, 22/2, 22/3, 23, 26, 69, 73, 172, 186, 187, 188, 75 28 / 26, 6, 13/2, 14, 15/1, 15/2, 27 / 1/1, 2, 10/1, 10/2, 28 / 11/2, 12/1, 12/3,

(Sd.) . . .,
Superintending Engineer,
Ambala Circle, P.W.D.., B. & R.,
Ambala Cantt.

लोक निर्माण विभाग

भवन एवं सड़क शाखा

अम्बाला वृत

दिनांक 2 मई, 1986

नं० एस० सो०/लो० नि० वि० भ० एवं स०/अम्बाला/1449.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल को प्रतीत होता है कि सरकार द्वारा सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजनार्थ जिला अम्बाला में पिन्जोटा से ग्राम रजोली तक सड़क का निर्माण हेतु भूमि ली जानी अपेक्षित है। अत: यह अधिसूचित किया जाता है कि निम्न वर्णित परिक्षेत्र में उपरोक्त प्रयोजनार्थ भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

यह अधिसूचना भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 के उपबन्धों के अधीन उन सभी व्यक्तियों को जारी की जाती है जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं।

पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इस समय इस कार्य में लगे हुए अधिकारियों को अपने कर्मचारियों व कर्मकारों सहित उक्त परिक्षेत्र में किसी भी भूमि में प्रवेश करके निरीक्षण व उपरोक्त धारा द्वारा उपेक्षित या अनुज्ञात सभी काम करने के लिए सहर्ष प्राधिकृत करते हैं।

कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उपरोक्त परिक्षेत्र में किसी भूमि अर्जन करने पर कोई आक्षेप हो, इस अधिसूचना के प्रकाशन से तीस दिनों के भीतर में अपनी आक्षेप लिखित रूप से जिला राजस्व अधिकारी तथा भूमि अर्जन समाहर्ता, अम्बाला के समक्ष दायर कर सकता है।

विशिष्टियां

जिला	तहसील	परिक्षेत्र/गांव	हदबस्त नं.	क्षेत्रफल (एकड़ों में)	रैक्टटैंगल नं०/कीला नं०
अम्बाला	नारायणगढ़	पिन्जोटा	274	4.60	9 / 9, 10, 12, 13, 17/3, 18/1, 18/2,

जिला	तहसील	परिक्षेत्र/गांव	हदबस्त नं०	क्षेत्रफल (एकड़ों में)	रैक्टेन्गल नं०/कीला नं०
अम्बाला	नारायणगढ़	पिंजोटा	274		$\frac{9}{26}$, $\frac{14}{4, 14, 18, 22/2, 23, 29, 32, 33, 26, 27}$, $\frac{19}{2/1, 2/2, 2/3, 3, 8, 9, 12, 13, 18, 22, 23}$, $\frac{19}{19}$, $\frac{24}{2, 3, 8, 9/1, 12, 13/1, 13/2, 13/3, 18, 19/1, 19/2}$, $\frac{24}{22, 23/1, 23/2}$, $\frac{27}{3, 8, 9/1, 9/2, 9/3, 12, 13}$, $\frac{27}{18, 19, 22, 23/1, 23/2}$ 32, 34, 33, 35, 36, 42, 47, 58, 59, 121 से 124, 126, 128 से 130, 132, 143, 146 से 153, 155, 165, 170, 171, 175 से 176, 177
अम्बाला	नारायणगढ़	पिंजोटा	288	3.68	$\frac{8}{22, 23}$, $\frac{11}{2, 3/1, 3/2, 8/1, 8/2, 9, 12/1, 12/2, 13/1, 13/2, 18/1}$, $\frac{11}{18/2, 19, 22, 23/1, 23/2}$, $\frac{19}{2, 3, 8, 9/1, 9/2, 12, 13/1, 13/2}$, $\frac{19}{18, 19, 22/1, 22/2, 22/3, 23, 26}$, 69, 73, 172, 186, 187, 188, 75

जिला	तहसील	परिक्षेत्र/गांव	हदबस्त नं०	क्षेत्रफल (एकड़ों में)	रैक्टेंगल नं०/किला नं०
अम्बाला	नारायणगढ़	पिंजोटा	288		28 / 26, 6, 13/2, 14, 15/1, 15/2, 27 / 1/1, 2, 10/1, 10/2, 28 / 11/2, 12/1, 12/3

देशबन्धु,
अधीक्षक अभियन्ता,
अम्बाला परिमण्डल, लो. नि. वि.,
भवन तथा मार्ग शाखा, अम्बाला छावनी ।

श्रम विभाग

दिनांक 4 जून, 1986

सं० ओ०वि०/एफ०डी०/50-86/19095.--चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं० विविध पौली पैकेंजिग, 14/7, मथुरा रोड़, फरीदाबाद, के श्रमिक श्री ऊमा शंकर मार्फत राष्ट्रीय मजदूर संघर्ष यूनियन (रजि०), प्लाट नं० ए-408, टूल रूम, ट्रेनिंग सैन्टर के सामने औद्योगिक क्षेत्र, दिल्ली-110052 तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिये, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 5415-3-श्रम 68/15254, दिनांक 20 जून, 1978 के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं० 11495-जी-श्रम-57/11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, फरीदाबाद को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे संबंधित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा संबंधित मामला है :—

क्या श्री ऊमा शंकर की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है?

सं० ओ० वि०/एफ० डी०/52-86/19107.--चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं० विविध पौली पैकेंजिग, 14/7, मथुरा रोड, फरीदाबाद, के श्रमिक श्री हरभजन मार्फत राष्ट्रीय मजदूर संघर्ष यूनियन (रजि०), प्लाट नं० ए-408, टूल रूम, ट्रेनिंग सैंन्टर के सामने औद्योगिक क्षेत्र, दिल्ली-110052 तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 5415-3-श्रम-68/15254, दिनांक 20 जून, 1978, के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं० 11495-जी-श्रम-57/11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958, द्वारा उक्त

अधिनियम, की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, फरीदाबाद, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे संबंधित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जोकि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा संबंधित मामला है :—

क्या श्री हरभजन की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं० ओ० वि०/एफ.डी./57-86/19113.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं० विविध पोली पैकेजिंग, 14/7, मथुरा रोड, फरीदाबाद, के श्रमिक श्री भगत सिंह मार्फत राष्ट्रीय मजदूर संघर्ष यूनियन (रजि०), प्लाट नं० ए-408, टूल रूम, ट्रेनिंग सैन्टर के सामने औद्योगिक क्षेत्र, दिल्ली 110052 तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 5415-3-श्रम 68/15254, दिनांक 20 जून, 1978 के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं० 11495-जी-श्रम 57/11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958, द्वारा उक्त, अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, फरीदाबाद, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है :—

क्या श्री भगत सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं० ओ०वि०/एफ०डी०/56-86/19119.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं० विविध पोली पैकेजिंग, 14/7, मथुरा रोड, फरीदाबाद, के श्रमिक श्री नमो नाथ मार्फत राष्ट्रीय मजदूर संघर्ष यूनियन (रजि०), प्लाट नं० ए-408, टूल रूम, ट्रेनिंग सैन्टर के सामने औद्योगिक क्षेत्र, दिल्ली-110052 तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 5415-3-श्रम-68/15254, दिनांक 20 जून, 1978, के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं० 11495-जी-श्रम-57/11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958, द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, फरीदाबाद, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे संबंधित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा संबंधित मामला है :—

क्या श्री नमो नाथ की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ।

जे० पी० रतन,
उप सचिव, हरियाणा सरकार,
श्रम विभाग ।

21109 CS(H)—Govt. Press, U.T., Chd.